(1)

(536)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

= =

निगरानी प्रकरण संख्या/- वर्ष 2017

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6166

R con
dn
डा॰/12/17

1/- महिला मेदाबाई खंगार आयु 65 वर्ष बेवा कु खंगार

2/- अनंदीकुशवाहा आयु 65 वर्ष पुत्र धनुवा कुशवाहा

3/- बंदू खंगार आयु 60 वर्ष पुत्र सुनवा खंगार

4/- सुखदीन खंगार आयु 55 वर्ष सुनवा खंगार

5/- हरीराम खंगार आयु 45 वर्ष पुत्र गनेश खंगार

6/- फुल्ला जोगी आयु 40 वर्ष पुत्र पुनुवा जोगी

7/- श्रेयांसजैन आयु 55 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जैन

उपरोक्त सभी निवासीयान ग्राम ककरवाहा तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र० ---------निगरानीकर्तागण आवेदकगण

18-12-17

बनाम

महिला उमा राय आयु 45 वर्ष पत्नि दयाराम राय नि० ग्राम ककरवाहा तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र० -----------अनावेदक

निगरानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० सं० प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल बडागांव धसान अति० तहसीलदार बडागांव तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र० दिनांक 8-11-2016 जो कि प्रकरण क्रमांक 25/अ-12/2016-017 मे पारित कियागया ।

महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्तागण अपनी निगरानी मे सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह किप्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकारबताये गये कि अनावेदक ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 100/1, 58/7, 106/1/2, 59/9, 115/1 स्थित ग्राम ककरवाहा का सीमांकन कराये जाने आवेदन किया और राजस्व निरीक्षक मण्डल बडागांव धसान द्वारा दिनांक 8-11-2016 को संयुक्त दल सहित उक्त भूमि पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही की परन्तु उस कार्यवाही मे आवेदकगण को सुचनानही दी गयी और ना ही आवेदकगण की उपस्थिति मे उक्त सीमांकन कराया गया अनावेदक एवं उसके परिवारजनो ने अपने मनमाने ढंग से सीमांकन की कार्यवाही करवा कर आवेदकगण को अनावेदक की अंश भूमि पर अनधिकृत कब्जा होना पाया गया जबकि आवेदकगण ने अनावेदक कीभूमि पर कब्जानही किया है और अनावेदक आवेदकगण के स्वामित्व व कब्जे कीभूमि को जबरन छुडाने के प्रयास मे है जिस कारण अनावेदक कीओर से गलत आधारो परसीमांकन की कार्यवाही की गयी । जिसकी जानकारी आवेदकगण को नही हो पायी है । और उस सीमांकन की कार्यवाही के उपरांत अनावेदक ने अति० तहसीलदार बडागांवधसान

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6166

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव धसान तह0 व जि0 टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 08.11.2016 के विरुद्ध दिनांक 18.12.2017 को इस न्यायालय विलंब से पेश की गई है, जो कि अवधि वाह्य है। अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवधि वाह्य निगरानी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के पूर्व विधिवत सूचना-पत्र जारी किया गया है एवं जिस भूमि का सीमांकन किया गया है वह अनावेदिका के नाम दर्ज है। उक्त आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की आपत्ति अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	